41–(08)–38–2018

पटना में दिनांक–26 अप्रैल, 2018 वृहस्पतिवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	वित्त विभाग	
1.	माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के अनुमान्य भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षित दर एवं उप मंत्रियों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के नियत वेतन की स्वीकृति के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	वित्त विभाग	
2.	षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2018 के प्रभाव से 139 प्रतिशत के स्थान पर 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	वित्त विभाग	
3.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2018 के प्रभाव से 5 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	वित्त विभाग	
4.	पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01.01.2018 के प्रभाव से 268 प्रतिशत के स्थान पर 274 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।	4. स्वीकृत।
	ग्रामीण कार्य विभाग	
5.	ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त 850 पदों पर सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने के संबंध में।	5. स्वीकृत।
	ग्रामीण विकास विभाग	
6.	वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड सह अंचल के दो पंचायतों–कन्हौली धनराज एवं कन्हौली विशनपरसी को महुआ प्रखंड सह अंचल में शामिल करने की स्वीकृति।	6. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

7. पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय में वित्तीय संसाधनों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वरीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

8. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई दी जा रही सब्सिडी के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के रूप में नामित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए०टी० एण्ड सी० लॉस से अधिक अनुमानित ए०टी० एण्ड सी० लॉस के कारण राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 968.88 करोड़ (नौ सौ अड़सठ करोड़ अठासी लाख) रूपये की पूँजीगत निवेश (Equity) के मद में उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

10. षोडश बिहार विधान सभा के नवम्–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 188वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत् राज्य के नगर निकायों एवं नगरपालिका प्रशासन निदेशालय को सौंपे गये कृत्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु पदों की पुनर्संरचना एवं सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रू० मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने हेतु निर्गत संकल्प संख्या–3557, दिनांक–20.11.2014 में आंशिक संशोधन के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" (MoA एवं AoA सहित) के गठन के प्रस्ताव एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1517.00 करोड़ (पन्द्रह सौ सतरह करोड़ रू० मात्र) रूपये के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में 488.00 करोड़ (चार सौ अठासी करोड़ रू० मात्र) एवं कम्पनी के निबंधन के लिए 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग, बिहार–गठन/प्रबंधन एवं सेवा–शर्त नियमावली, 2018 के संबंध में। — 14. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

15. "सतत् जीविकोपार्जन योजना" के अंतर्गत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। — 15. **स्वीकृत।**

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार